



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 846) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 134, दिनांक 22 जुलाई 2026—मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ दावा पत्रों की सुनवाई एवं निर्धारण हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर
2	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	रोहतास, कैमूर, बक्सर
3	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली
4	सहायक श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
5	सहायक श्रमायुक्त, गया	गया, नवादा
6	सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
7	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
8	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया
9	सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
10	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
11	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
12	सहायक श्रमायुक्त, बेगुसराय	खगड़िया, बेगुसराय
13	सहायक श्रमायुक्त, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल

2. सभी प्राधिकार अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-128/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 135, एस० ओ० 134 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-129/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 134, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 45 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Authority for the purpose of hearing and deciding claims under the Code, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against the officers mentioned in column (2) of the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Assistant Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur
2	Assistant Labour Commissioner, Dalmiyanagar	Rohtas, Kaimur, Buxar
3	Assistant Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, East Champaran, Vaishali
4	Assistant Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
5	Assistant Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Nawada
6	Assistant Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
7	Assistant Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
8	Assistant Labour Commissioner, Katihar	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
9	Assistant Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
10	Assistant Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
11	Assistant Labour Commissioner, Betia	West Champaran, Sitamarhi, Sheohar,
12	Assistant Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
13	Assistant Labour Commissioner, Aurangabad	Aurangabad, Jehanabad, Arwal,

2. All authorities shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/Code on Wages-10-01/2025-128/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

Upendra Prasad,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 846-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>